₹2000 मूल्यांकवाले बैंक नोट–प्रचलन से वापसी – समीक्षा

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति 2023–2024/257 के माध्यम से 2000 के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक 2000 के बैंक नोटों के लिए डिपॉज़िट और/या विनिमय सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई थी. विनिमय सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में भी उपलब्ध कराई गई थी, जिनमें निर्गम विभाग (आरबीआई निर्गम कार्यालय) हैं. आरबीआई मासिक प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जनता को वापसी की प्रक्रिया की स्थिति के बारे में सूचित करता रहा है.

2. बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 के बैंक नोटों के कुल रु.3.56 लाख करोड़ मूल्य में से 3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं, तथा 29 सितंबर, 2023 को कारोबार की समाप्ति तक प्रचलन में केवल रु.0.14 लाख करोड़ रह गए हैं. इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे रु.2000 के बैंक नोटों में से 96% वापस आ चुके हैं.

3. चूंकि वापसी प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, तथा समीक्षा के आधार पर, रु.2000 के बैंक नोटों के जमा/विनिमय की वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. 08 अक्टूबर, 2023 से रु.2000 बैंक नोटों के जमा/विनिमय की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

ए) बैंक शाखाओं में जमा/विनिमय बंद कर दिया जाएगा.

बी) रु.2000 के बैंक नोटों को व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में एक बार में रु.20,000/– की सीमा तक बदला जा सकता है.

सी) व्यक्ति/संस्थाएँ किसी भी राशि के लिए रु.2000 के बैंक नोट भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में जमा कर सकते हैं.

डी) देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएँ भी रु.2000 के बैंक नोट भारतीय डाक के माध्यम से किसी भी 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों को भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं.

ई) ऐसा विनिमय या जमा प्रासंगिक आरबीआई/सरकारी विनियमों, वैध पहचान दस्तावेजों की प्रस्तुति और आरबीआई द्वारा उपयुक्त मानी जानेवाली उचित सतर्कता के अधीन होगा.

एफ) न्यायालय, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, सरकारी विभाग या जाँच कार्यवाही या प्रवर्तन में शामिल कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, आवश्यकता पड़ने पर, बिना किसी सीमा के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 के बैंक नोट जमा/विनिमय कर सकते हैं.

4. रु.2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे.

5. 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में रु.2000 के बैंक नोट जमा करने/विनिमय करने की उपरोक्त सुविधा अगले निर्देश तक उपलब्ध रहेगी.

6. जनता को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के रु.2000 के बैंक नोट जमा/विनिमय कर लें.

7. जनता की सुविधा और सूचना के लिए इस मामले में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर एक अद्यतन दस्तावेज़ आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है.

Validity : Permanent
Ver: BN170_V1.0_July '24

HDFC BANK
INDIA'S No.1 BANK